



कार्यालय – प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, पताही, मुजफ्फरपुर। पिन– 843113



हरि शंकर यादव
प्रभारी प्राचार्य
(बिहार शिक्षा सेवा)

Website- www.ptecpatahi.co.in

E-mail id –principalptecpatahi@gmail.

कार्यालय आदेश,

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या-पी.आर-211/2026 दिनांक 16.09.2026 के आलोक में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पताही, मुजफ्फरपुर में डी.एल.एड. सत्र 2026-28 में Spot admission हेतु दिनांक 21.09.2026 से 23.09.2026 तक सभी आवश्यक कागजातों के साथ (संलग्न सूची के अनुसार) महाविद्यालय में (10:00AM से 5:00PM तक) स्वयं उपस्थित होकर अपना Spot Admission हेतु अपना आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Spot Admission की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के नियमानुसार नामांकन प्रभारी द्वारा ससमय पूर्ण किया जायेगा।

अनुलग्न-

01. आवेदन पत्र
 - 02- CAF
 03. स्कोर कार्ड
 04. इंटरमिडिएट/अंतिम पढाई जिस विद्यालय/महाविद्यालय से किया हो उसका CLC
 05. मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र
 06. इंटरमिडिएट का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र
 07. जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
 08. आवासीय प्रमाण-पत्र।
 09. EWS प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
 10. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
 - 11- DEPENDENT प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- नोट:- सभी मूल प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति स्व-अभिप्रमाणित कर महाविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

प्रभारी प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
पताही, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 528 पताही, मुजफ्फरपुर दिनांक 19/09/2026 /

प्रतिलिपि:- नामांकन प्रभारी/संबंधित व्याख्याता/कर्मि पी.टी.ई.सी. पताही, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक (विविध) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् महेन्द्र, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

प्रभारी प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
पताही, मुजफ्फरपुर।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पताही, मुजफ्फरपुर।

क्रम संख्या..... (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

Spot Admission Application form 2026-28

बार कोड संख्या-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Over all Rank-----

Category Rank-----

Obtained Score-----

नाम-

पिता का नाम-.....

माता का नाम-.....

जन्म तिथि-.....लिंग-.....

आरक्षित कोटि- (GEN/ EWS/ EBC/ BC/ SC/ ST/ WBC)

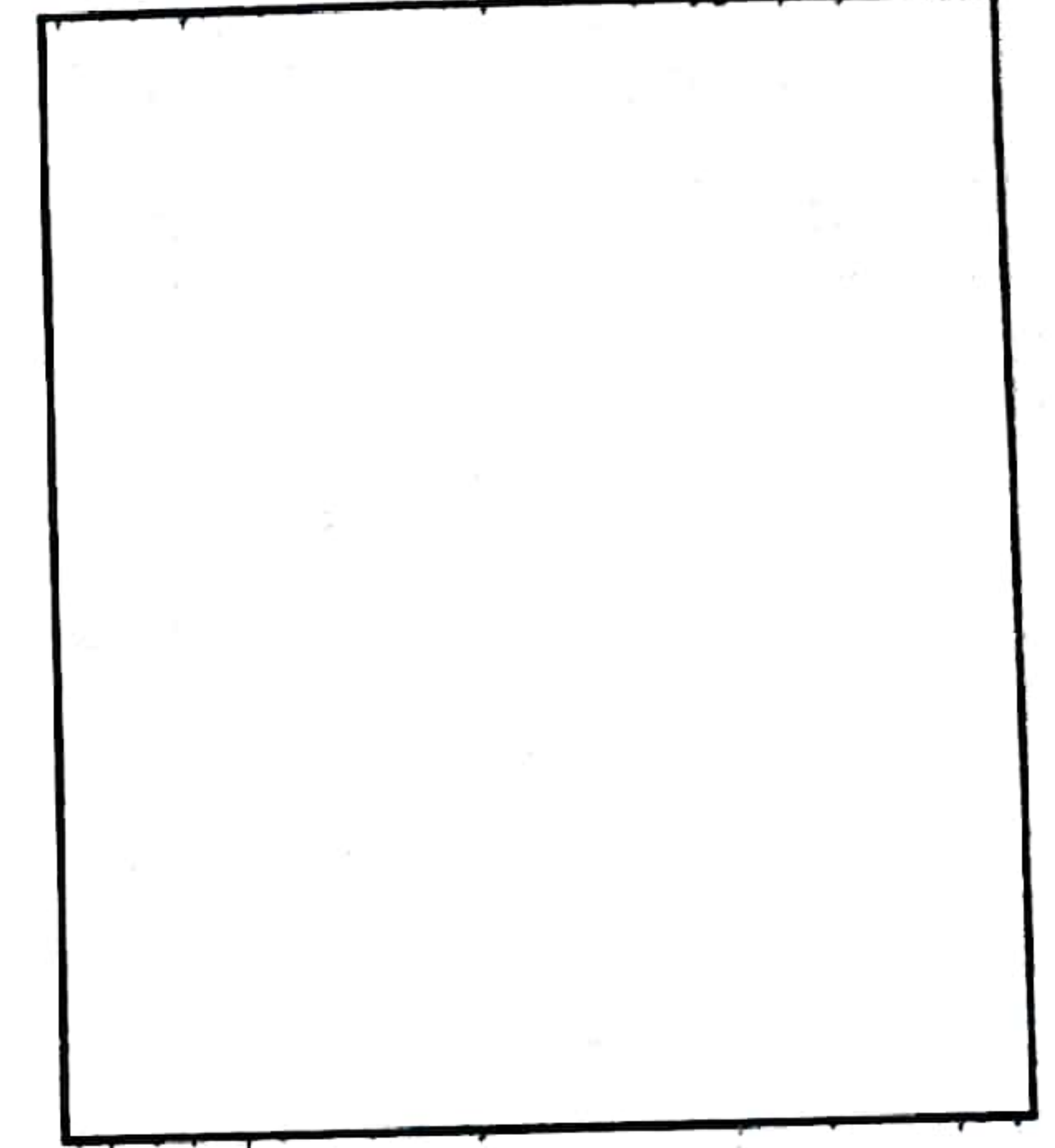
दिव्यांगता- हाँ/ नहीं, दिव्यांगता प्रतिशत.....

सैनिक के आश्रित- हाँ/ नहीं

इंटरमीडिएट में उर्दू विषय- हाँ/ नहीं

Percentage Marks Of Intermediate-----

मोबाइल/ (Whatsapp) NO-----



आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर.....

क्रम संख्या..... (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

नाम..... बार कोड सं०..... का आवेदन पत्र

डी०एल० एड० सत्र-2026-28 में स्पॉट नामांकन हेतु प्राप्त किया गया है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या- PR.211/2026

NCTE से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण सत्र 2026-28 में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट नामांकन (Spot Admission) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के डी.एल.एड. कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-28 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 के आधार पर समिति की विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 181/2026 एवं पी०आर० 187/2026 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सरकारी संस्थानों में नामांकन हेतु तीन चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर दिनांक 15.09.2026 तक नामांकन की कार्रवाई की गई है एवं संस्थान द्वारा नामांकन का UPDATION दिनांक 16.09.2026 को समिति के पोर्टल पर किया गया है।

2. कई ऐसे मामले दृष्टांत में आए हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवंटित संस्थान में मात्र 3000/- रुपये की सुरक्षा राशि जमा की गई है। निर्देशों के बावजूद ऐसे अभ्यर्थी द्वारा अपने नामांकित संस्थान में प्रथम वर्ष के शुल्क की शेष राशि जमा नहीं किया है, जो इंगित करता है कि ऐसे आवेदक अपने नामांकित संस्थान में अध्ययन के इच्छुक नहीं हैं। आंशिक राशि के आधार पर नामांकित अभ्यर्थियों का सीट रिक्त रह जाने की आशंका रहती है। अतएव निदेशित किया जाता है कि जिन आवेदकों के द्वारा अपने नामांकित संस्थान में प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा नहीं किया गया है, वैसे आवेदकों को शुल्क की शेष राशि के भुगतान हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 18.09.2026 तक संस्थान के प्रथम वर्ष के शुल्क की शेष राशि अनिवार्य रूप से जमा करा लिया जाए। दिनांक 18.09.2026 के पश्चात् संस्थान उन आवेदकों का आवंटन/नामांकन निरस्त किए जाने हेतु स्वतंत्र होंगे, जो आवेदक शुल्क की शेष राशि जमा नहीं करेंगे। संस्थान द्वारा अंतिम रूप से नामांकित अभ्यर्थियों का Updation दिनांक 19.09.2026 तक ही किया जा सकता है। *वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम वर्ष का पूर्ण शुल्क नहीं जमा किया गया है और दिनांक 19.09.2026 तक संबंधित संस्थान के द्वारा ऐसे नामांकित अभ्यर्थियों का नामांकन निरस्त नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे अभ्यर्थी संस्थान में नामांकित हैं।* नामांकन Updation (नामांकन निरस्त) करने के लिए समिति द्वारा सभी प्रशिक्षण संस्थान को उनके लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

2.1 नामांकित आवेदक के नामांकन निरस्त किए जाने की प्रक्रिया में सभी सरकारी संस्थान पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतेंगे। सभी सरकारी संस्थान इस बात को हर हाल में सुनिश्चित करेंगे कि अकारण किसी भी नामांकित आवेदक का नामांकन निरस्त नहीं हो। यदि संस्थान के स्तर से चूकवश भी ऐसा होता है और इससे कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी संस्थान की होगी।

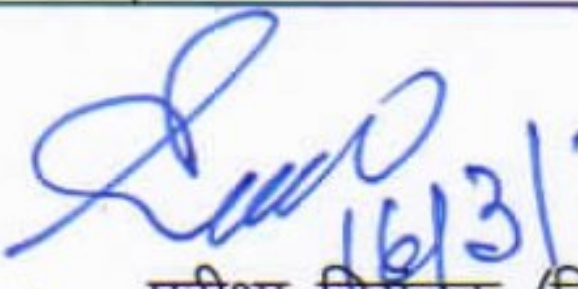
2.2 पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के चयनित वैसे आवेदक जो 3000/रु० की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्थान में नामांकन ले चुके हैं, वे दिनांक 18.09.2026 तक संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा यह माना जाएगा कि वे संस्थान में पठन हेतु इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार संस्थान द्वारा उनका नामांकन निरस्त किया जा सकता है।

3. समिति द्वारा तीन चरणों में सरकारी संस्थानों में सीट आवंटन एवं संस्थानों द्वारा नामांकन की कार्रवाई की गई। उक्त के पश्चात् विभिन्न संस्थानों में सीट रिक्त रह गया है, जिसके विरुद्ध अभ्यर्थी हित में सरकारी संस्थानों में अद्यतन नामांकन उपरान्त रिक्त रह गए सीटों पर स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की कार्रवाई की जानी है। जिसकी पात्रता, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम अग्रेतर कंडिकाओं में उल्लिखित है।

4. **स्पॉट नामांकन (Spot Admission)** हेतु सरकारी संस्थानों में संस्थानवार रिक्त रह गए सीटों का विवरण समिति के पोर्टल <https://bsebdeled.com> पर निर्धारित तिथि 21.09.2026 को अपलोड रहेगा।
5. सरकारी संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण एवं विज्ञप्ति सं० पी०आर० 181/2026 में वर्णित योग्यता/पात्रता धारण करने वाले निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे :-
- (क) वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा CAF (Common Application Form) एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था, किन्तु उनका चयन किसी भी चरण में नहीं हुआ है, अथवा
 - (ख) वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में सीट आवंटन हुआ था, किन्तु वे सम्प्रति नामांकित नहीं हैं।
 - (ग) प्रथम/द्वितीय/तृतीय चरण में सीट आवंटन के आलोक में किसी भी संस्थान में सम्प्रति नामांकित कोई भी अभ्यर्थी स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
6. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 127, दिनांक 12.01.2023 के आलोक में तृतीय चरण की समाप्ति के बाद विज्ञान विषय अथवा कला व वाणिज्य विषय में स्थान शेष रह जाने पर जिस विषय में अभ्यर्थी शेष है, उस विषय के अभ्यर्थी का नामांकन रिक्त स्थान के विरुद्ध लिया जा सकता है। तदनुसार डी०एल०एड० कोर्स संचालित सभी संस्थानों में स्वीकृत सीट के 50% स्थान विज्ञान एवं 50% स्थान-कला व वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने के प्रावधान को स्पॉट नामांकन (Spot Admission) हेतु शिथिल किया जाता है।
7. किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उसे निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगा:-
- (i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच एवं
 - (ii) अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के बीच विनियमन संभव होगा।
8. पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता की दिशा में उन रिक्तियों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम में भरा जाएगा :-
- (i) अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से
 - (ii) अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से
 - (iii) अत्यन्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से
 - (iv) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से
9. उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के स्पॉट नामांकन (Spot Admission) की प्रक्रिया निम्नवत् है :-
- i. इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर सरकारी संस्थानवार रिक्त सीटों की संख्या से अवगत हो लेंगे।
 - ii. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में (Common Application Form) एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया है वे समिति पोर्टल पर जाकर अपना बारकोड/Reference Number डालकर स्पॉट नामांकन हेतु अपना CAF डाउनलोड कर लें।
 - iii. तत्पश्चात् अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक हैं, वहाँ संगत अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी अकादमिक प्रमाण-पत्रों, आरक्षण कोटि/अन्य कोटि से संबंधित प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के अलावे अपना स्कोर कार्ड एवं CAF अवश्य संलग्न करेंगे।
 - iv. संस्थान प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। प्राप्ति संख्या क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएँगी, अर्थात् आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित द्वितीय एवं आगामी तिथियों को प्राप्ति संख्या 01 से शुरू न कर उस संख्या से शुरू की जाएगी, जो पूर्व की तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद है।

- v. अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा तत्क्षण उसे आवेदन पत्र की छायाप्रति पर आवेदन की प्राप्ति (Receiving) दी जाएगी। आवेदन की छायाप्रति पर Receiving के साथ-साथ आवेदन प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- vi. संस्थान अभ्यर्थियों के CAF No. को अपने लॉग इन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदक का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है।
- vii. आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत संस्थान द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थी के 'रैंक' के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार कर आपत्ति आमंत्रण हेतु संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित (प्रकाशित) की जाएगी।
- viii. आवेदक अभ्यर्थी संस्थान द्वारा प्रदर्शित (प्रकाशित) किए गए औपबंधिक मेधा सूची का अवश्य अवलोकन करेंगे एवं उक्त के संबंध में उन्हें यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति अभ्यावेदन लिखित रूप से संस्थान में जमा करेंगे।
- ix. तत्पश्चात् अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति/आपत्तियों का निराकरण करते हुए संस्थान द्वारा अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसे संस्थान के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित (प्रकाशित) किया जाएगा।
- x. संस्थान द्वारा उक्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए उसे समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाएगा।
- xi. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा नामांकन में आरक्षण के प्रावधान का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।
10. स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों की समय तालिका निम्नवत् है :-

क्र.स.	कार्य	तिथि
1	सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची के चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा नामांकन के समय मात्र 3000/रु० की सुरक्षा राशि जमा की गई है, वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा आवंटित/नामांकित संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने की तिथि	18.09.2026 तक
2	सरकारी संस्थानों के द्वारा समिति के पोर्टल पर अंतिम रूप से नामांकित अभ्यर्थियों के "नामांकन-स्थिति" का पोर्टल पर Updation करने की तिथि	19.09.2026 तक
3	सरकारी संस्थान वार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध रहना	21.09.2026
4	अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि	21.09.2026 से 23.09.2026 तक
5	औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि	23.09.2026
6	औपबंधिक मेधा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि	24.09.2026
7	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि	24.09.2026
8	प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि	25.09.2026
9	अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि	25.09.2026 से 27.09.2026 तक
10	नामांकन के पश्चात् समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि	28.09.2026
11	स्पॉट नामांकन हेतु संस्थान स्तर पर प्रकाशित अंतिम मेधा सूची में से आवेदकगण के द्वारा नामांकन नहीं लेने की स्थिति में उक्त रिक्त के विरुद्ध संस्थान द्वारा नियमानुसार (संस्थान के स्तर पर प्राप्त आवेदन के आधार पर तैयार किया गया प्रतीक्षा सूची) तैयार की गई प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से मेधा क्रमानुसार नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे।	29.09.2026 से 30.09.2026 तक
12	स्पॉट नामांकन के पश्चात् संस्थान में नामांकित अभ्यर्थियों की स्थिति (Updation), पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि	01.10.2026


 16/9/26
 परीक्षा नियंत्रक (विविध)
 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।